छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 29 जुलाई, 2021 (श्रावण 7,1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020–21 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना मुलमुला, जिला–जांजगीर–चाम्पा में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे, पिता–श्री राजाराम नोरंगे, निवासी परियरा की हुई मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/खाद्य/2009/29–1, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, प्रदेश में पेंशनरों के प्रकरणों के निराकरण में होने वाले विलंब की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर जिले की बिल्हा तहसील के धौराभाठा अंतर्गत खसरा नम्बर 599 के भू–स्वामी को मुआवजा वितरण नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान का उठाव नहीं होने की ओर खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल रायपुर "मेकाहारा" में गरीब मरीजों की फ्री एंजियोप्लास्टी बंद होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
30 मिनट (1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 3

निर्धारित समय

15 मिनट (2) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा 30 मिनट (3) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक,2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) (ग्रामीण व शहरी) का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य,चर्चा उठायेंगे।

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश की हसदेव एवं मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में कोयला खनन की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 28 जुलाई, 2021